

m 811/D.No. - 1273

26/3/14

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 26th March, 2014

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. — In exercise of the powers conferred by section 295 read with 35CCD of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (2nd Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 6AAH, —


(A) for the clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

(ii) "Training institute" means a training institute, —

- (a) set up by the Central Government or a State Government or a local authority;
- (b) affiliated to the National Council for Vocational Training or a State Council for Vocational Training;
- (c) affiliated to, or approved by, or empanelled by, the National Skill Development Agency;
- (d) affiliated to, or approved by, or empanelled by, the Central Government and certified by the National Council for Vocational Training as having training standards equivalent to training institutes affiliated to the National Council for Vocational Training; or
- (e) affiliated to, or approved by or empanelled by, the State Government and certified by the National Council for Vocational Training or a State Council for Vocational Training as having training standards equivalent to training institutes affiliated to the National Council for Vocational Training or, as the case may be, the State Council for Vocational Training.;

(B) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:—

(v) "National Skill Development Agency" means the agency constituted by the Government of India vide notification No.14/27/2012-EC, dated the 6th June, 2013.;


(J. Saravanan)
Under Secretary (TPL)

[Notification No. 16 /2014, F.No.142/1/2014-TPL]

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended vide notification number 108(E) dated the 15/01/2014.

Ms. Rules
27/3/14

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, तारीख 20 मार्च, 2014

अधिसूचना

आय-कर

का.आ. (अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35गगघ के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 6ककज में,--

(अ) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ii) “प्रशिक्षण संस्थान” से,-

- (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित ;
- (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से सहबद्ध ;
- (ग) राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् द्वारा सहबद्ध या अनुमोदित या पैनलित ;
- (घ) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से सहबद्ध प्रशिक्षण संस्थान के समतुल्य प्रशिक्षण मानक रखने वाले केंद्रीय सरकार और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सत्यापित सहबद्ध, अनुमोदित या पैनलित ; या
- (ङ) यथास्थिति, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से सहबद्ध प्रशिक्षण संस्थान के समतुल्य प्रशिक्षण मानक रखने वाले राज्य सरकार और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा सत्यापित सहबद्ध, अनुमोदित या पैनलित ;

निम्नलिखित कोई प्रशिक्षण संस्थान अभिप्रेत है।’;

(आ) खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(v) “राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण” से केंद्रीय सरकार की अधिसूचना सं. 14/27/2012-ईसी तारीख 6 जून, 2013 द्वारा गठित अभिकरण अभिप्रेत है।’।

ज. २१६४५५

(जे. सरवनन)
अवर सचिव (टीपीएल)

[अधिसूचना सं.१६/2014 फा.सं. 142/1/2014-टीपीएल]

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन का.आ. सं. ...१०४..(अ) तारीख 15/11/2014 द्वारा किया गया।